



महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रु०वि०/प०नि०का०/२०२१/७०५०-५१

दिनांक ०४.१०.२०२१

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालयों में चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) प्रस्तावित अध्योदश को समान रूप से लागू किये जाने के संबंध श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं० ई-७४४३/०३-जी०ए०/२०१९(TC) दिनांक २६.११.२०२० में दिये गये दिशा-निर्देश के कम में विश्वविद्यालय की एम०बी०बी०एस० प्रथम प्रोफेशनल, एम०बी०बी०एस० तृतीय प्रोफेशनल पार्ट-II (मुख्य/पूरक) एवं एम०डी०/एम०एस० पाठ्यक्रम की आन्तरिक परीक्षा एवं बाह्य परीक्षा वर्ष २०२१ की उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रों को चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में दी गयी व्यवस्थानुसार निम्नानुसार द्वितीय चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी—

आवेदन पत्र ऑनलाईन उपलब्ध होने की तिथि	:	०५.१०.२०२१
आवेदन ऑनलाईन आवेदन एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	:	१२.१०.२०२१

चुनौती मूल्यांकन (Challenged Evaluation) का दूसरा चरण

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु० २५००/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाईन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया—

- प्रत्येक प्रश्नपत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम ०४ (चार) विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों की एक नामावली संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति महोदय को प्रस्तुत की जायेगा।
- चुनौती मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा करवाया जायेगा।
- विषय विशेषज्ञ/परीक्षक को नामित करने का कार्य संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस संबंध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- चुनौती मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जायेगा।
- संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियाँ तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।

चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में—

- दोनों विषय विशेषज्ञों/परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जायेगा।
- यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक।
- यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में २०% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रु० २५००/- में से रु० १०००/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय।
- वित्त अधिकारी
- कुलसचिव
- सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
- डा० अमित सिंह, मीडिया प्रभारी
- प्रशासनिक अधिकारी (परीक्षा/गोपनीय)
- निजी सचिव, कुलपति
- वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव।
- प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट/केन्द्रीय कम्प्यूटर

परीक्षा नियंत्रक